न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; **(UP-6234)**

UPHP010013952024

Sessions Case/145/2024

State of U.P. Vs. Jafru

सत्र परीक्षण संख्या 145 / 2024

मु0अ0सं0 573 / 2023

सरकार बनाम जफरू आदि

अ0 धारा 147,148,323 / 149,336 / 149,304 / 149,504 भा0द0सं0,

थाना– पिलखुवा जनपद– हापुड़।

18.03.2024 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण जफरू, रफ्फूदीन, निसार , समीर सुऐल जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को सुना गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,148,323 / 149,336 / 149,304 / 149,504 भा0द0सं0, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 03.04.2024 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)

दि0 18.03.2024 अपर सत्र न्यायाधीश /

विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,

हापुड।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
UPHP010013952024

Sessions Case/145/2024
State of U.P. Vs. Jafru
सत्र परीक्षण संख्या 145/2024
मु0अ0सं0 573/2023
सरकार बनाम जफरू आदि
अ0 धारा 147,148,323/149,336/149,304/149,504 भा0द0सं0,
थाना– पिलखुवा जनपद– हापुड़।

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट,हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण जफरू, रफ्फूदीन, निसार , समीर सुऐल पर यह आरोप लगाता हूँ कि :

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 21.11.2023 को समय 17.00 बजे ग्राम सिखैडा स्थित वादी के घर के बाहर गली में, बहद थाना पिलखुवा जिला हापुड में आप अभियुक्तगण विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे तथा उस जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 147 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण एक राय होकर ईट, पत्थर, लाठी , डन्डे, फरसे जैसे घातक आयुधो से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य थे तथा उस जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया । इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य के रूप में सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी के पिता रहीसुद्दीन, छोटे भाई सुलतान, व माता जीनत व राशिद के साथ लाठी, डन्डे से मारपीट कर सामान्य उपहति कारित की । इसप्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/149 के अधीन दण्डनीय अपराध है , जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी के पिता रहीसुद्दीन, छोटे भाई सुलतान, व माता जीनत व राशिद ईट के रोडे आदि से पथराव कर उनका जीवन संकटापन्न कर दिया । इसप्रकार

आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 336/149 के अधीन दण्डनीय अपराध है , जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में वादी के पिता रहीसुद्दीन के सिर पर फरसे से वार कर प्राणघातक चोट पहुंचाई , जिसके कारण रहीसुददीन की अस्पताल में मृत्यु हो गयी । इसप्रकार आपने ऐसा आपराधिक मानववध किया ,जो हत्या की कोटि में नहीं आता है तथा भा0दं0सं0 की धारा 304/149 के अधीन दण्डनीय अपराध है , जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी के पिता रहीसुद्दीन, छोटे भाई सुलतान, व माता जीनत व राशिद को बुरी – बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 18.03.2024

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 18.03.2024